Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 6931 / 2002 / जयपुर

मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी बोकड़ावास जरिये पुजारी मूलचन्द पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बोकड़ावास तहसील दूदू जिला जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. मंदिर श्री ठाकुरजी विराजमान रूपनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये पुजारी पुरूषोत्तम (मृतक) पुत्र श्री गोरधन दास ब्राह्मण जरिये वारिसान :–
   1 / 1. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण
   1 / 2. गोरधन पुत्र स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण
   निवासीगण रूपनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. तहसीलदार दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस. पी. ओझा : अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री एल.के. पांडया एवं श्री मनीष पांडया : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

––

दिनांक : 20 / 2 / 2018

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 20 / 1998 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5 / 10 / 2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अपील मीमो अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी मंदिर श्री ठाकुरजी विराजमान रूपनगढ के पुजारी श्री पुरूषोत्तम टण्डन ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, दूदू के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं 4 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 6, 7, 394, 395 व 396 कुल किता 5 रकबा 47 बीघा 12 बिस्वा ग्राम बोकड़ावास तहसील दूदू में मूर्ति मंदिर की भूमि है जिस पर जरिये पुजारी काबिज होकर काश्त कर रहा है एवं मंदिर की जीर्ण–सीर्ण अवस्था को ठीक करवाता है। राजस्व विभाग के परिपत्र की पालना में पुजारियों का नाम विलोपित होना था किन्तु माफी मंदिर ठाकुरजी विराजमान के स्थान पर माफी मंदिर रघुनाथ जी दर्ज कर दिया, जो दुरूस्त किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4/12/1997 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1/वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसके साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5/10/2002 द्वारा अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार मानते हुए अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई तथा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया लेकिन अपील को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार था, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं विचारण न्यायालय द्वारा हमें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4/12/1997 से व्यथित होकर हमारे द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा हमें व्यथित पक्षकार मानते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था। लेकिन इसके बावजूद अपीलीय न्याालय ने हमारे द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि

विवादित भूमि माफी रघुनाथ जी बोकड़ावास की खातेदारी की है एवं देवस्थान विभाग से पंजीकृत है लेकिन दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित भूमि को ठाकुरजी विराजमान रूपनगढ़ की मानकर विधिक भूल की है। पुजारी पुरूषोत्तम रूपनगढ में वर्षों से रहता आया है लेकिन उनके कथन मात्र से बोकड़ावास की जगह रूपनगढ़ दर्ज किया जाना गलत है, सम्वत 2049–2052 की जमाबन्दी में विवादित भूमि माफी मंदिर रघुनाथ जी विराजमान बोकड़ावास के नाम से रही थी। उनका यह भी तर्क है कि न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि किसी खातेदार के खातेदारी इन्द्राज को हटाया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना परम आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में 2007(1) आर.आर.टी. पेज 125 एवं 2002 आर.आर. डी. पेज 101 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित निर्णयों को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पूर्व में जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2029 में रूपनगढ के मंदिर के नाम से दर्ज थी। सम्वत 2032–2035 तक इसी प्रकार के इन्द्राज चले आ रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से रूपनगढ के स्थान पर साकिन देह तथा रघुनाथजी का नाम दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में रूपनगढ़ मंदिर के पुजारी की ओर से जो दावा प्रतिवादी राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ जिसमें विधि अनुरूप इन्द्राज को दुरूस्त कर दिया गया। उनका तर्क है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावा केवल इन्द्राज दुरूस्ती का था जिसमें किसी अन्य पक्षकार को सुना जाना आवश्यक नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन/मनन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि के संबंध में विद्वान सहायक कलेक्टर, दूदू के न्यायालय में दिनांक 3/9/1996 को वाद संख्या 277/1996 माफी मंदिर ठाकुरजी विराजमान रूपनगढ पुजारी पुरूषोत्तम टण्डन निवासी रूपनगढ द्वारा ग्राम बोकडा वास तहसील दूदू स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 6, 7, 394 से 396 कुल किता 5 रकबा 47 बीघा 123 बिस्वा के सबंध में जिला कलेक्टर, जयपुर एवं तहसीलदार, दूदू को पक्षकार बनाते हुए

घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती दायर किया जाकर निवेदन किया गया कि राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र की पालना में माफी मंदिर के स्थान पर दर्ज पुजारियों का नाम इसमें विलोपित होना था, जब कि माफी मंदिर ठाकुरजी विराजमान के स्थान पर माफी मंदिर की रूघनाथ जी का नाम दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, दूदू ने अपने निर्णय दिनांक 4/12/1997 द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करते हुए तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2049–2052 खाता संख्या 108 में माफी मंदिर श्री रूघनाथ जी वाके देह को विलोपित कर उक्त इन्द्राज के स्थान पर माफी मंदिर ठाकुर जी विराजमान साकिन रूपनगढ प्रतिस्थापित किया। इसके पश्चात वर्तमान अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अपील संख्या 20/1998 राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके साथ अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 5/10/2002 को अस्वीकार कर दिया गया। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2002 आर.आर.डी. पेज 101 एवं 2007(1) आर.आर.टी.पेज 125 से पूर्णतया सहमत है जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी प्रभावित पक्षकार को बिना नोटिस जारी किये और सुनवाई का अवसर प्रदान किये यदि कोई निगरानी या नजरसानी निर्णीत की जाती है तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है एवं पारित निर्णय निरस्त योग्य है। इस प्रकरण में अपीलार्थी मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथजी जरिये पुजारी मूलचन्द पुत्र श्री रामगोपाल जो कि वर्ष 1992 से विवादित भूमि के खातेदार दर्ज थे उन्हें अधीनस्थ विचारण न्ययालय द्वारा बिना पक्षकार संयोजित किये उसके विरूद्ध निर्णय पारित कर उनके नाम किये गये इन्द्राज को विलोपित कर दिया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करते हुए उन्हें व्यथित/आवश्यक पक्षकार तो मान लिया गया तथा अपील को अन्दर मियाद भी शुमार कर लिया गया परन्तु उसके बावजूद प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया और बोकड़ावास के स्थान पर रूपनगढ़ का नाम दुरूस्त कर दिया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार नहीं कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। इस प्रकार हमारी सुविचारित राय अनुसार दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री यथावत रहने योग्य नहीं है। हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का घ्यानपूर्वक अवलोकन किया है, जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्त की पुष्टि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों से होती है। ऐसी स्थिति हम प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 5/10/2002 एवं विद्वान सहायक कलेक्टर, दूदू द्वारा दिनांक 4/12/1997 को पारित निर्णय/डिक्री को अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी बोकड़ावास जरिये पुजारी मूलचन्द पुत्र श्री रामगोपाल को पक्षकार संयोजित करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर पद्रान कर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष